

19 अगस्त, 2022

कार्यकारी आदेश 2022-18

**कार्यकारी आदेश 2022-18**  
**(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 111)**

**जबकि**, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

**जबकि**, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है, जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 3,645,000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 34,500 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

**जबकि**, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करना जारी रखता है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व रहा है; और,

**जबकि**, महामारी के दौरान कई संस्करण (वेरिएंट) सामने आए हैं और लगातार सामने आ रहे हैं जिनमें प्रत्येक अलग-अलग संचरण क्षमता वाले और गंभीरता वाले शामिल हैं; और,

**जबकि**, इस महामारी में भविष्य में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी करना एक कठिन काम है, और सामाजिक दूरी, चेहरे को ढकना और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियों जैसे सिद्ध उपाय COVID-19 के प्रसार को धीमा करके उसे रोकने में अभी भी कारगर हैं; और,

**जबकि**, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) ने K-12 सेटिंग्स सहित यूनिवर्सल इनडोर मास्क़िंग के लिए अपनी सिफारिश को हटाने के लिए 25 फरवरी, 2022 को संशोधित मार्गदर्शन जारी किया है; और,

**जबकि**, उस मार्गदर्शन ने COVID-19 से ग्रस्त अस्पताल में दाखिले, इनपेशेंट बेड की उपलब्धता और COVID-19 मामलों की संख्या के आधार पर सामुदायिक COVID-19 स्तरों का आकलन करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया है; और,

**जबकि**, अब CDC का मार्गदर्शन केवल उन समुदायों में यूनिवर्सल मास्क़िंग की सिफारिश करता है जिनमें COVID-19 का स्तर अधिक है; और,

**जबकि**, CDC यह सलाह देना जारी रखता है कि कुछ सामुदायिक सेटिंग्स, जैसे कि स्कूल और उच्च-जोखिम वाली सामूहिक सेटिंग्स को उन सेटिंग की विशेषताओं के आधार पर और प्रकोप की स्थिति में रोकथाम की अतिरिक्त पड़ावों की आवश्यकता हो सकती है; और,

**जबकि**, राज्य के आदेश के बिना भी, K-12 स्कूल, चाइल्डकैअर सुविधाएँ, और अन्य सेटिंग्स सामुदायिक COVID-19 स्तर और सेटिंग की अन्य विशेषताओं के आधार पर लोगों द्वारा फेस मास्क पहनने की आवश्यकता का चयन कर सकती हैं; और,

**जबकि**, COVID-19 के टीके COVID-19 रोग, विशेष रूप से गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में प्रभावी हैं, लेकिन आबादी का एक हिस्सा बिना टीकाकरण के है और कुछ निवांसी, जिनमें छह महीने से छोटे बच्चे भी शामिल हैं, अभी तक टीका प्राप्त करने के योग्य नहीं हुए हैं; और,

**जबकि**, कुछ नियोक्ताओं ने सामूहिक सौदेबाजी समझौतों में प्रवेश किया है, जिसके लिए अन्य शमन उपायों के अलावा, व्यक्तियों को कुछ सेटिंग्स में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता होती है; और,

**जबकि**, CDC यह सिफारिश करना जारी रखता है कि जब समुदाय COVID-19 का स्तर अधिक होता है तब जो व्यक्ति प्रतिरक्षित हैं या गंभीर बीमारी के लिए उच्च जोखिम पर हैं, वे सार्वजनिक रूप से घर के अंदर एक अच्छी तरह से फिट होने वाले मास्क को पहनने पर विचार करें; और,

**जबकि**, CDC यह सिफारिश करना जारी रखता है कि लक्षण वाले लोग, पॉजिटिव टेस्ट वाले लोग, या COVID-19 वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोग मास्क पहनें; और,

**जबकि**, व्यक्ति स्वयं को या अपने इर्द-गिर्द के व्यक्तियों को COVID-19 के प्रसार के विरुद्ध संरक्षित करने के लिए मास्क पहन सकते हैं; और

**जबकि**, CDC मार्गदर्शन ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि जो व्यक्ति COVID-19 टीकाकरण के मामले में अप-टू-डेट नहीं हैं, या जो COVID-19 संक्रमण के 90 दिनों के भीतर हैं, वे COVID-19 से संपर्क के बाद 10 दिनों के लिए मास्क पहने; और,

**जबकि**, CDC मार्गदर्शन ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि जो व्यक्ति COVID-19 के परीक्षण में पॉजिटिव आए हैं वे परीक्षण में पॉजिटिव आने के बाद कम-से-कम 5 दिनों तक घर पर ही रहते हुए पृथक्वास (आइसोलेशन) में रहें और दिन 10 तक मास्क पहनें; और,

**जबकि**, CDC ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि यदि विद्यार्थियों, अध्यापकों, और स्टाफ़ में किसी भी संक्रामक रोग, जिसमें COVID-19 शामिल है, के संकेत हों तो वे घर पर ही रहें; और,

**जबकि**, जबकि, स्कूलों को CDC मार्गदर्शन की अनुरूपता में यह निर्धारित करने में अपने स्थानीय स्वास्थ्य विभागों का सहयोग जारी रखना चाहिए कि COVID-19 के परीक्षण में पॉजिटिव आए किन विद्यार्थियों, अध्यापकों, और स्टाफ़ को स्कूल समुदाय के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए घर पर ही रहना चाहिए; और,

**जबकि**, फेडरल सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज (CMS) की आवश्यकता है की संघ-प्रमाणित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों को COVID-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीके लगे हों, और दृढ़ता से यह सिफारिश करता है की संघ-प्रमाणित लॉन्ग-टर्म देखभाल और कुशल नर्सिंग सुविधाओं के कर्मचारी COVID-19 टीकाकरण पर अप-टू-डेट रहें; और,

**जबकि**, CMS के लिए आवश्यक है कि दीर्घकालिक देखभाल और कुशल नर्सिंग सुविधाओं के कर्मचारी जो अपने टीकाकरण पर अप-टू-डेट नहीं हैं, उनका सप्ताह में कम से कम एक बार परीक्षण किया जाना चाहिए यदि COVID-19 सामुदायिक संचरण का स्तर मध्यम है तो, और प्रति सप्ताह कम से कम दो बार यदि COVID-19 सामुदायिक प्रसारण का स्तर पर्याप्त या अधिक हो तो; यदि COVID-19 कम्युनिटी ट्रांसमिशन का स्तर कम है तो साप्ताहिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं है; और,

**जबकि**, 34,500 से अधिक इलिनॉय वासियों के दुखद नुकसान के कारण और दस हज़ार से अधिक लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के अलावा, COVID-19 ने राष्ट्र और राज्य भर में व्यापक आर्थिक नुकसान किया है और एक महत्वपूर्ण संख्या में व्यक्तियों और व्यवसायों के वित्तीय कल्याण के लिए खतरा बना हुआ है; और,

**जबकि**, COVID-19 महामारी के प्रभाव के कारण देश भर में स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी हो गई है जो इलिनॉय में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण को प्रभावित कर रहा है, जिसमें राज्य द्वारा संचालित सुविधाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में कर्मचारियों, बिस्तरों और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता शामिल है; तथा,

**जबकि**, राज्य में कई कार्यकारी एजेंसियां अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित करना जारी रखे हुए हैं; और,

**जबकि**, 19 अगस्त, 2022 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

**जबकि**, ऊपर वर्णित महामारी आपातकालीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के जवाब में, मैं कार्यकारी आदेश 2020-09, 2020-20, 2020-23, 2021-12, 2021-18, 2021-22, 2021-28, 2021-31 और 2022-06 को फिर से जारी करना आवश्यक पाता हूं, और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्वारा समाविष्ट करता हूं;

**अतः**, इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों के अनुरूप, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं जो 19 अगस्त, 2022 से प्रभावी होगा:

### **भाग 1: कार्यकारी आदेशों को पुनः जारी करना।**

कार्यकारी आदेश 2020-09, 2020-20, 2020-23, 2021-12, 2021-18, 2021-22, 2021-28, 2021-31, और 2022-06 को निम्नवत एतद्वारा पुनः जारी किया जाता है:

#### **कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ)):**

कार्यकारी आदेश 2020-09 के अनुभाग 9 और 10, जो कि कार्यकारी आदेश 2021-15 द्वारा संशोधित हैं, को पुनः जारी किया जाता है एवं 17 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाया जाता है, इसके बाद कार्यकारी आदेश 2020-09 की धारा 10 को रद्द कर दिया जाएगा।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं पेशेवर नियमन विभाग (Illinois Department of Financial and Professional Regulation) द्वारा की गई कार्रवाइयाँ):**

कार्यकारी आदेश 2020-23 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2021-12 (चरण 5 दोबारा खोलना):**

कार्यकारी आदेश 2022-12 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-12 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2021-18 (शमन के उपाय):**

कार्यकारी आदेश 2021-19, कार्यकारी आदेश 2022-06 कार्यकारी आदेश 2022-10 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-18 को इसकी संपूर्णता में फिर से जारी किया गया है और 17 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2021-22 (टीकाकरण और परीक्षण आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2021-23, कार्यकारी आदेश 2021-27, कार्यकारी आदेश 2022-05 और कार्यकारी आदेश 2022-16 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-22 के अनुभाग 2, 3, 5, 6, 7, 8, और 9 को 17 सितंबर, 2022 तक फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

**कार्यकारी आदेश 2021-28 (डे केयर टीकाकरण और परीक्षण आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2021-30 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-28 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 सितंबर, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-31 (पेशेवर परामर्शदाताओं, नैदानिक पेशेवर परामर्शदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यकताओं का निलंबन):**

कार्यकारी आदेश 2021-31 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 सितंबर 2022 तक बढ़ाया जाता है, जिसके बाद कार्यकारी आदेश 2021-31 को रद्द कर दिया जाएगा।

**कार्यकारी आदेश 2022-06 (चेहरा कवर करने की आवश्यकताएं):**

कार्यकारी आदेश 2022-11 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2022-06 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 सितंबर, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**भाग 2: संचय खंड (सेविंग्स क्लौज़)।** यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान को या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके उपयोग को सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना उस अवैध प्रावधान के या आवेदन के लागू किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

**जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),**

**राज्यपाल (गवर्नर)**

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 19 अगस्त, 2022 को जारी  
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 19 अगस्त, 2022 को दायर